



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा०सं० रा०भा० 3(2)/2014-हिन्दी

दिनांक : 6 अगस्त, 2014

सेवा में,

भा.कृ.अनु.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक

विषय :- राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के संबंध में


महोदय,

उपर्युक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले संस्थानों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में वर्ष 2013-14 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पिछले वित्तीय वर्ष (अर्थात् 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 को समाप्त तिमाही) के आधार पर संलग्न प्रोफार्मा में आंकड़े भरकर परिषद मुख्यालय को दिनांक 20 सितम्बर, 2014 तक भिजवाने की कृपा करें। इस योजना की नियमावली और प्रोफार्मा की एक प्रति आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : उपर्युक्त वर्णित

भवदीय


(हरीश चन्द्र जोशी) 5.8.14
निदेशक (रा०भा०)



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अधीन आने वाले विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान सर्वाधिक कार्य हिन्दी में करने पर पुरस्कार देने हेतु नियमावली।

पुरस्कार का नाम

1. परिषद के विभिन्न संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों आदि में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कार्यालय को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम 'राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार' है।

पुरस्कार किसकी ओर से दिया जाता है

2. यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है और परिषद के बड़े संस्थानों व परिषद के "क" और "ख" क्षेत्रों के अन्य संस्थानों के लिए अलग-अलग है तथा इसी तरह "ग" क्षेत्र में स्थित संस्थानों आदि के लिए भी अलग से है।

पुरस्कार का स्वरूप

3. (क) यह पुरस्कार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए (i) परिषद के बड़े संस्थानों (ii) परिषद के "क" और "ख" क्षेत्रों के अन्य संस्थान और (iii) "ग" क्षेत्र में स्थित संस्थानों आदि में से हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वाले कार्यालय को अलग-अलग दिया जाता है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बड़े संस्थानों के लिए 2 पुरस्कार "क" और "ख" क्षेत्रों के छोटे संस्थानों आदि के लिए 2 पुरस्कार तथा "ग" क्षेत्र में स्थित संस्थानों/केन्द्रों के लिए भी 2 पुरस्कार अर्थात् प्रथम को शील्ड और द्वितीय को ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं।

(ग) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की मूल भावना अक्षुण्ण रखने हेतु यह आवश्यक है कि पुरस्कार किसी अत्यधिक समर्थ संस्था को ही अनवरत न मिलता रहे। इस मूल भावना के संरक्षण हेतु 26 जून, 2009 को पुरस्कारों के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि जिस संस्थान को लगातार 2 वर्ष पुरस्कार मिल चुके हैं उसकी पात्रता पर एक वर्ष के लिए विचार न

किया जाए तथापि एक प्रतियोगिता वर्ष छोड़कर वह संस्थान उसके बाद वाले वर्ष में प्रतियोगिता में पुनः भाग लेने का पात्र होगा।

पुरस्कार का उद्देश्य

4. इस पुरस्कार का उद्देश्य परिषद के विभिन्न संस्थानों आदि के कार्य में हिन्दी को प्रोत्साहित करना है।

पुरस्कार संबंधी प्रशासकीय व्यवस्था

5. पुरस्कार के चयन संबंधी नियम निर्धारित करने और पुरस्कार प्राप्तकर्ता/कर्ताओं के चयन का सम्पूर्ण अधिकार परिषद का है।
6. इन पुरस्कारों पर होने वाला व्यय प्रतिवर्ष परिषद मुख्यालय के स्वीकृत बजट से वहन किया जाता है।

पुरस्कार के लिए पात्रता

7. यह पुरस्कार व्यक्तिगत न होकर संस्थान स्तर पर दिया जाता है। परिषद के अधीनस्थ वे सभी संस्थान/केन्द्र/निदेशालय/ब्यूरो आदि इस योजना में भाग ले सकते हैं जो पूर्णतः या कुछ हद तक अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करते हैं।
8. पुरस्कार के लिए चयन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार हेतु चयन की प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद शुरू की जाती है।

पुरस्कार के लिए चयन की क्रियाविधि

9. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए परिषद की ओर से संस्थानों आदि को सूचना भेजी जाती है।
10. सभी संस्थानों आदि को प्रविष्टि सूचना में इंगित तारीख तक निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-1) में निदेशक (R0MAD) के नाम परिषद के पते पर भेजनी होती है।
11. मूल्यांकन समिति द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात् पुरस्कार की सूचना संबंधित कार्यालय को दी जाती है।
12. यदि किसी वर्ष उपरोक्त वर्गों के लिए पुरस्कार के योग्य प्रविष्टि/प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष संबंधित वर्ग के लिए पुरस्कार की घोषणा नहीं की जाएगी।
13. मूल्यांकन समिति की संस्तुति के बाद ही महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पुरस्कार स्वीकृत किया जाता है और इसकी घोषणा सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नामित अधिकारी द्वारा की जाती है।
14. यह पुरस्कार वर्ष 2013 से संस्थानों के निदेशकों की बैठक में प्रदान किया जाता है।

मूल्यांकन समिति

15. सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित अधिकारी/विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष होता है तथा निदेशक (रा०मा०) सदस्य सचिव होते हैं।
16. समिति में अध्यक्ष और कम से कम दो सदस्य होते हैं जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बाहर के होते हैं। यह संख्या सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनुमति से बढ़ाई जा सकती है।
17. मूल्यांकन समिति का सदस्य सचिव
 - (क) समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को मूल्यांकन प्रोफार्मा की एक-एक प्रति भेजेगा।
 - (ख) यह देखेगा कि मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाए जिसमें सदस्यों द्वारा प्रदत्त संस्तुतियों के आधार पर पुरस्कार के लिए अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
 - (ग) मूल्यांकन समिति के सदस्य/सदस्यों को प्रविष्टि के विषय में यदि कोई विशेष जानकारी चाहिए तो वह उसे संबंधित संस्थान आदि से लेकर उपलब्ध कराएगा।
 - (घ) पुरस्कार प्राप्तकर्ता के चयन के लिए निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार चुने गए पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा के लिए परिपत्र जारी करेगा।
18. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

राजर्षि टंडन राजभाषा पुरस्कार के लिए प्रपत्र

संस्थान का नाम				
प्रतियोगिता वर्ष				
(1) कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य	अधिकारी	कर्मचारी	योग	
(क) अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या				
(ख) कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या				
(ग) हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या				
(घ) हिन्दी में काम करने वालों की संख्या				
(ङ) अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले काम का प्रतिशत				
(2) हिन्दी में पत्राचार (तार, टेलेक्स, फैंक्स आदि सहित)	भेजे गए कुल पत्र			
	हिन्दी में	अंग्रेजी		
(क) "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को				
(ख) "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, उसके कार्यालयों तथा उनमें व्यक्तियों को				
(ग) "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को				
(घ) हिन्दी में प्राप्त या हिन्दी में हस्ताक्षर किए पत्रों/आवेदनों/अभ्यावेदनों के उत्तर				
(3) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी रूप में जारी करना	कुल संख्या	हिन्दी में	अंग्रेजी में	द्विभाषी
(क) संकल्प				
(ख) सामान्य आदेश				
(ग) नियम				
(घ) अधिसूचनाएं				
(ङ) प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन				
(च) प्रेस विज्ञापितियां				
(छ) संविदाएं (कॉन्ट्रैक्ट)				
(ज) करार (एग्रीमेंट)				
(झ) अनुज्ञापितियां (लाइसेंस)				
(ट) अनुज्ञापत्र (परमिट)				
(ठ) निविदा सूचनाएं (टेंडर नोटिस)				
(ड) निविदा प्रारूप (फार्म ऑफ टेंडर)				
(ढ) संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र				

(4) हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग में प्रशिक्षण		आशुलिपिक		टाइपिस्ट	
(क) आशुलिपिकों व टंककों की कुल संख्या					
(ख) हिन्दी आशुलिपि/टाइपिंग जानने वालों की संख्या					
(5) देवनागरी टाइपराइटर्स की व्यवस्था		कुल	देवनागरी	रोमन	द्विभाषी
(क) देवनागरी टाइपराइटर्स की संख्या					
(ख) इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स की संख्या					
(ग) टाइपराइटर्स पर हिन्दी में किए जाने वाले काम का प्रतिशत					
(6) द्विभाषी कंप्यूटर्स की व्यवस्था					
(क) कुल कंप्यूटर्स की संख्या					
(ख) कितने कंप्यूटर्स में हिन्दी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है					
(ग) उक्त कंप्यूटर्स पर कुल कार्य की तुलना में हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का प्रतिशत					
(7) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन					
अप्रैल-जून		जुलाई-सितम्बर		अक्टूबर-दिसम्बर	
(कृपया बैठक की तारीख सूचित करें)					
(8) हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन					
(क) वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की संख्या तथा आयोजन की तारीखें					
अप्रैल-जून		जुलाई-सितम्बर		अक्टूबर-दिसम्बर	
(कृपया बैठक की तारीख सूचित करें)					
(9) तिमाही रिपोर्ट भेजना					
अप्रैल-जून		जुलाई-सितम्बर		अक्टूबर-दिसम्बर	
रिपोर्ट भेजने की तारीख					
(10) प्रकाशन					
(i) वार्षिक रिपोर्ट					
(क) पूर्णतः हिन्दी में प्रकाशित होती है					
(ख) सार हिन्दी में प्रकाशित होता है					
(ग) केवल अंग्रेजी में प्रकाशित होती है					
(ii) पत्रिका					
(क) क्या कार्यालय द्वारा कोई पत्रिका हिन्दी में प्रकाशित की जाती है ?		जी हां/जी नहीं			
(ख) यदि हां, तो क्या पत्रिका		(i) मासिक है			
		(ii) त्रैमासिक है			
		(iii) छमाही है			
(ग) अन्य कोई प्रकाशन					
(जो लागू हो कृपया उसे/कर दें तथा अन्य को काट दें)					

(iii) शोध पत्र/लेख	
(क) हिन्दी में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	
(ख) केवल सार रूप में हिन्दी में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या	
(ग) वैज्ञानिकों द्वारा संबंधित विषयों पर हिन्दी में प्रकाशित लेखों की संख्या	
(घ) हिन्दी में प्रकाशित प्रसार साहित्य (पैम्फलेट आदि)	
(ङ) हिन्दी में प्रकाशित पुस्तक/पुस्तिकाओं की संख्या	
(11) प्रशिक्षण	
(क) वर्ष में चलाए जाने वाले कुल प्रशिक्षण कार्यक्रम	
(ख) हिन्दी में चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	
(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने विषयों से संबंधित है	
(घ) उपर्युक्त "ग" में से कितने विषयों में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया है	
(12) विविध	
(क) क्या संस्थान के वैज्ञानिकों/अधिकारियों के कोई रेडियो कार्यक्रम/वार्ताएं हिन्दी में प्रसारित हुई हैं और यदि हां तो उनकी संख्या	
(ख) दूरदर्शन पर हिन्दी में संस्थान से संबंधित प्रदर्शित कार्यक्रमों की संख्या	
(ग) वर्ष में हिन्दी में दिए गए तकनीकी भाषणों की संख्या	
(घ) वर्ष में हिन्दी में आयोजित गोष्ठियों की संख्या	
(ङ) क्या हिन्दी में किए गए कार्य के लिए किसी अन्य संस्थान/सरकार द्वारा संस्थान को पुरस्कृत किया गया है	
(च) क्या संस्थान के किसी वैज्ञानिक/अधिकारी/कर्मचारी को हिन्दी में कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है।	

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता

टेलीफोन नं.